

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर
जिला—रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1615 / एफ-7-84/31/एस-2/2020, अटल नगर, दिनांक 25/03/2021
प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- रायगढ़ जिले के विकासखण्ड सारंगढ़ के परसदा ताड़ीपार नहर मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र. 54 / बो.प्र. / AA / त.क. / ह.क. / 2020 / 9346, रायपुर, दि. 20.10.2020.

--00--

राज्य शासन एतद् द्वारा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड सारंगढ़ के परसदा ताड़ीपार नहर मरम्मत कार्य हेतु लागत राशि रु. 289.38 लाख (रूपये दो करोड़ नवासी लाख अड़तीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

- D1
15/3/2021
2. प्रस्तावित नहर मरम्मत कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् 1012.80 हेक्टेयर सिंचाई में कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षमता 2501.64 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।
 3. कार्य विभाग नियमावली की कांडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
 4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
 5. योजना पर व्यय बजट माँग संख्या—45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702—लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {103} सतही जल, 0101 राज्य आयोजना(सामान्य), (3803) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजना, #97. निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
 6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 10.03.2020 द्वारा सहमति प्राप्त है।
 7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
 8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
 9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

१५/३/२०२१

कार्य क्र. नं.	अ.
इलाहाबाद जल संसाधन विभाग (छ.ग.)	
आरक्ष. ८७२	
विभाग ३५-२/	
दस्तावेज़ W	
मु.अ. यां.प्र.अ. यां.प्र.अ.	५४८

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

SMA
25/03/2021
(प्रेम सिंह धरन्द्र)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
संसाधन विभाग

पृष्ठ 1616 / एफ-7-84/31 / एस-2/2020,

-2-

प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 25/03/2021

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला—रायगढ़। (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, रायगढ़, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग रायगढ़, जिला—रायगढ़।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।
- 15 आदेश फोल्डर।

25/03/2021
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
रायगढ़